

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CB
24/8/84

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३४८] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906
No. ३४८] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1984

सा. का. नि. 543(अ).—केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी भंडार (विशेष
न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं.
सा.का.नि. 529 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1984 को अधिकांश करते हुए, भारत
सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 541 (अ) तारीख 28
जुलाई, 1984 के अधीन गठित पटियाला न्यायिक जोन से संबंधित एक विशेष
न्यायालय की स्थापना करती है और आगे यह निवेश देती है कि उक्त विशेष न्यायालय
माधारणतः पटियाला में अधिविष्ट होगा।

[सं. 1/2/84-विधिक संल (i)]

प्रेम कुमार, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1984

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Ordinance, 1984 (9 of 1984), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 529(E), dated the 23rd July, 1984, the Central Government hereby establishes a Special Court in relation to the judicial zone of Patiala, as constituted under the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 541(E), dated 28th July, 1984, and further directs that the said Special Court shall ordinarily sit at Patiala.

[No. 1/2/84-Leg. Cell(i)]

PREM KUMAR. Special Secy.